भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **5732** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/ 14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

पोत निर्माण सामग्रियों पर बीसीडी की छूट

†5732. श्रीमती डी. के. अरुणा :
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री इटेला राजेंदर :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पोतों के निर्माण हेतु कच्चे माल, घटकों, उपभोज्य वस्तुओं अथवा पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की छूट को अगले दस वर्षों के लिए जारी रखने का विचार है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पोत निर्माण की निर्माण अवधि लंबी होती है, इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पोत भंजन के लिए भी यही छूट देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क)और (ख): भारत सरकार ने बजट भाषण 2025 में घोषणा किया है कि *यह मानते हुए कि पोत निर्माण की निर्माण अवधि लम्बी होती है, जलपोतों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल, घटकों, उपभोज्यों अथवा पुर्जों पर अगले दस वर्षों तक बीसीडी में छूट जारी रहेगी। पोत भंजन (शिप- ब्रेकिंग), को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस पर समान छूट दिया गया है।*

*****